AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का हितग्राहियों के आर्थिक विकास में योगदानः सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखण्ड के विशेष सन्दर्भ में

ORIGINAL ARTICLE

Authors
मुकेश उपाध्याय
शोधार्थी
डॉ. अमित वर्मा
शोध–पर्यवेक्षक
वाणिज्य विभाग
आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय
कोसमी, वि. ख. छुरा, गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

बेरोजगारी वह दशा है जिसमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को, जो कार्य करने की इच्छा रखता है प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो सीधे गरीबों के जीवन से जुड़ा है तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को पुष्ट करने के लिए एक वित्त वर्ष में ऐसे प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने को स्वेच्छा से तैयार हों। यह अधिनियम पहले चरण में 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था और वित्त वर्ष 2007–08 में इसे 130 और जिलों पर लागू किया गया था। इस अधिनियम को 1 अप्रैल, 2008 से पूरे देश में अधिसूचित कर दिया गया। मनरेगा दुनियाँ का ऐसा पहला कानून है जिसमें व्यापक पैमाने पर मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य मजदूरी रोजगार बढ़ाना है। इसका सहायक उद्देश्य उन कार्यों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है जो सूखा, वनों की कटाई तथा मृदाक्षरण जैसे स्थायी गरीबी के कारणों को दूर करते हैं तथा स्थायी विकास को बढ़ावा देते हों। इस प्रक्रिया से लोकतंत्र का आधार सुदृढ़ होता है और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही आती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर–पूर्व में अवस्थित आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिला हैं। अम्बिकापुर विकासखण्ड के 5 ग्राम पंचायतों के कुल 100 उत्तरदाताओं का चयन कर शोध कार्य पूर्ण किया गया है।

मुख्य शब्द

रोजगार, मनरेगा, जॉब कार्ड, बेरोजगारी, मजदूरी, पलायन.

जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ हो तथा वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहे ताकि वह अपनी आजीविका चला सके, परन्तु उसे कोई काम न मिले तो उस व्यक्ति को बेरोजगार तथा इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। अन्य शब्दों में, बेरोजगारी वह दशा है जिसमें शारीरिक व मानसिक रूप से

स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को, जो कार्य करने की इच्छा रखता है प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता।[1]

दसवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन की दिशा में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा के लिये, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उसे संशक्त या आनुवंशिक विषयों का उपबंध करने के लिए लोक सभा द्वारा 23 अगस्त 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2005 को परित किया गया, इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2005 कहा जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो सीधे गरीबों के जीवन से जुड़ा है तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को पुष्ट करने के लिए एक वित्त वर्ष में ऐसे प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने को स्वेच्छा से तैयार हों।

यह अधिनियम पहले चरण में 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था और वित्त वर्ष 2007–08 में इसे 130 और जिलों पर लागू किया गया था। इस अधिनियम को 1 अप्रैल, 2008 से पूरे देश में अधिसूचित कर दिया गया।[2]

2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) का नाम ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)'' कर दिया गया।

मनरेगा दुनियाँ का ऐसा पहला कानून है जिसमें व्यापक पैमाने पर मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य मजदूरी रोजगार बढ़ाना है। इसका सहायक उद्देश्य उन कार्यों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है जो सूखा, वनों की कटाई तथा मृदाक्षरण जैसे स्थायी गरीबी के कारणों को दूर करते हैं तथा स्थायी विकास को बढ़ावा देते हों। इस प्रक्रिया से लोकतंत्र का आधार सुदृढ़ होता है और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही आती है।

मनरेगा के क्रियान्वयन के मूल सिद्धांत[3]

1. इस अधिनियम में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, पंचायतों और स्थानीय समुदाय के बीच पारस्परिक सहभागिता की कल्पना की गई है।
2. समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने का दायित्व संस्थागत स्तर पर वैधानिक रूप से ग्राम सभा को सौंपा गया है।
3. प्रत्येक स्तर पर मौजूद पंचायतें अधिनियम के अंतर्गत योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन करने वाला प्रधान निकाय' होंगी।
4. जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) योजना को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू करने के जिम्मेदार होंगे।
5. विभिन्न स्तरों पर गठित पंचायतों को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक–दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम करना होगा। इसी प्रकार पंचायतों तथा जिला/ब्लॉक प्रशासन को भी मिलकर काम करना होगा।
6. केंद्र एवं राज्य सरकारों को संसाधनों के स्तर पर समयोचित एवं पर्याप्त सहायता प्रदान करते हुए अधिनियम के क्रियान्वयन में सभी आवश्यक सहायता देनी होगी।

शोध कार्य का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं:

1. रोजगार के वर्तमान स्वरूप की विवेचना करना।
2. मनरेगा योजना के संगठनात्मक स्वरूप एवं वित्तीय प्रबंध का अध्ययन करना।
3. अध्ययन क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं मजदूरों के पलायन रोकने में मनरेगा की भूमिका का अध्ययन करना।
4. महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन से आर्थिक विकास में योगदान का विश्लेषण करना।

शोध परिकल्पना

लुन्डवर्ग के अनुसार – ''उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता का परीक्षण शेष रहता है।''[4]

प्रस्तुत शोध पत्र की प्रमुख परिकल्पनाएँ निम्नानुसार हैं:

1. मनरेगा से जिले में निवासरत अधिकांश ग्रामीण परिवारो को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हुआ हैं।
2. मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और मजदूरो के पलायन में कमी हुई है।
3. मनरेगा योजनांतर्गत निष्पादित कार्यो से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढॉचा बेहतर हुआ हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर–पूर्व में अवस्थित आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिला हैं। पंचायत विभाग से अम्बिकापुर विकासखण्ड़ के 5 ग्राम पंचायतों के जॉबकार्ड धारकों की सूची प्राप्त कर प्रत्येक पंचायत में से न्यादर्श विधि से 20–20 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 100 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

न्यादर्श क्षेत्र का विवरण

विकासखण्ड	सर्वेक्षित ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत में उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं की कुल संख्या
अम्बिकापुर	1. खलीबा	20	100
	2. मेण्ड्राकला	20	
	3. बकालो	20	
	4. सखौली	20	
	5. परसा	20	

अम्बिकापुर विकासखण्ड में 53 प्रतिशत पुरुष एवं 47 प्रतिशत महिला हैं। सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में 18–30 वर्ष आयु वर्ग में 9 प्रतिशत, 30–40 वर्ष आयु वर्ग में 27 प्रतिशत, 40–50 वर्ष आयु वर्ग में 42 प्रतिशत एवं 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 22 प्रतिशत उत्तरदाता आते हैं। जातिवार वर्गीकरण की दृष्टि से 13 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति के, 53 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति के एवं 34 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं।

सारणी क्रमांक 1: सरगुजा जिले में सर्वेक्षित ग्रामों में मनरेगा के तहत जॉब कार्ड प्राप्त करने वाले व रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार व श्रमिक एवं सृजित मानव दिवस का विवरण[5]

क्र.	विकास खण्ड	2023.24				2024.25			
		जॉब कार्ड प्राप्त परिवारों की संख्या	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या	सृजित मानव दिवस	जॉब कार्ड प्राप्त परिवारों की संख्या	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या	सृजित मानव दिवस
1.	अम्बिकापुर	22488	8661	13210	379242	26968	11618	17414	520715
2.	बतौली	13236	5965	10241	238473	14351	6560	11116	305883
3.	लखनपुर	22398	10360	16661	489987	21503	11403	18142	540891
4.	लुण्ड्रा	21254	9741	14988	407525	21223	9636	14445	414743
5.	मैनपाट	11357	5411	8420	247302	11813	5265	8072	256100
6.	सीतापुर	17784	7519	11096	414550	18685	8957	13669	558803
7.	उदयपुर	16479	9825	17087	476924	17516	10107	16925	490228
	कुल	124996	57482	91703	2654003	132059	63546	99783	3087363

उपरोक्त सारणी में सरगुजा जिले में सर्वेक्षित ग्रामों में मनरेगा के तहत जॉब कार्ड प्राप्त करने वाले व रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार व श्रमिक एवं सृजित मानव दिवस का विगत 3 वर्षो का तुलनात्मक विवरण प्रदर्शित किया गया है।

अ. **जॉब कार्ड प्राप्त करने वाले परिवार:** वर्ष 2023–24 में जॉब कार्ड प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 1,24,996 थी जो वर्ष 2024–25 में बढ़कर 1,32,059 हो गयी है।

ब. **रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार:** वर्ष 2023–24 में रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 57,482 थी जो वर्ष 2024–25 में बढ़कर 63,546 हो गयी है।

स. **रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिक:** वर्ष 2023–24 में रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 91,703 थी जो वर्ष 2024–25 में बढ़कर 99,783 हो गयी।

द. **सृजित मानव दिवस:** वर्ष 2023–24 में सुजित मानव दिवसो की संख्या 26,54,003 थी जो वर्ष 2024–25 में बढ़कर 30,87,363 हो गयी।

सारणी क्रमांक 2: मनरेगा एवं रोजगार पात्रता के प्रावधान के संबंध में उत्तरदाताओं का अभिमत

क्रं.	विवरण	अम्बिकापुर विकासखण्ड	
		हॉ	नही
1.	मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी	87	13
2.	रोजगार पात्रता की जानकारी	33	67

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी: सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी है एवं 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी नही है।

रोजगार पात्रता की जानकारी: सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को रोजगार पात्रता की जानकारी है एवं 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को रोजगार पात्रता की जानकारी नही है।

सारणी क्रमांक 3: जॉबकार्ड जारी होने के संबंध में उत्तरदाताओं का अभिमत

क्रं.	विवरण	अम्बिकापुर विकासखण्ड	प्रतिशत
1.	जॉब कार्ड जारी हुआ है	96	96 प्रतिशत
2.	जॉब कार्ड जारी नही हुआ है	04	04 प्रतिशत
	योग	100	100 प्रतिशत

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

अम्बिकापुर विकासखण्ड में 96 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जॉब कार्ड जारी हुये है एवं 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं जॉब को कार्ड जारी नही हुये हैं।

सारणी क्रमांक 4: वर्ष में प्राप्त रोजगार दिवसों के वर्गीकरण का विवरण

क्रं.	उपलब्ध रोजगार दिवस	अम्बिकापुर विकासखण्ड	प्रतिशत
1.	20 दिनों से कम	7	7 प्रतिशत
2.	21–40 दिन	27	27 प्रतिशत
3.	41–60 दिन	35	35 प्रतिशत
4.	61–80 दिन	26	26 प्रतिशत
5.	81–100 दिन	03	3 प्रतिशत
6.	100 दिन से अधिक	02	2 प्रतिशत
	योग	100	100 प्रतिशत

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

- **20 दिनों से कम रोजगार पाने वाले परिवारः** अम्बिकापुर विकासखण्ड में 7 प्रतिशत उत्तरदाता परिवारों ने 20 दिनों से कम का रोजगार प्राप्त किया है।
- **21–40 दिन रोजगार पाने वाले परिवारः** अम्बिकापुर विकासखण्ड में 27 प्रतिशत उत्तरदाता परिवारों ने 21 – 40 दिनों का रोजगार प्राप्त किया है।
- **41–60 दिन रोजगार पाने वाले परिवारः** अम्बिकापुर विकासखण्ड में 35 प्रतिशत उत्तरदाता परिवारों ने 41–60 दिनों का रोजगार प्राप्त किया है।
- **61–80 दिन रोजगार पाने वाले परिवारः** अम्बिकापुर विकासखण्ड में 26 प्रतिशत उत्तरदाता परिवारों ने 61–80 दिनों का रोजगार प्राप्त किया है।
- **81–100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारः** अम्बिकापुर विकासखण्ड में 03 प्रतिशत उत्तरदाता परिवारों ने 81–100 दिनों का रोजगार प्राप्त किया है।
- **100 से अधिक दिवसों का रोजगार पाने वाले परिवारः** अम्बिकापुर विकासखण्ड में 02 प्रतिशत उत्तरदाता परिवारों ने 100 से अधिक दिनों का रोजगार प्राप्त किया है।

सारणी क्रमांक 5: मनरेगा से आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संबंध में उत्तरदाताओं का अभिमत

क्र.	विवरण	हॉ	नही	कुछ कह नही सकते	योग
1.	आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है	93	06	01	100
2.	रोजगार संबंधी आत्मनिर्भरता बढी है	82	15	03	100
3.	जीवन स्तर में सुधार हुआ है	93	06	01	100
4.	पलायन पर रोक लगी है	67	27	06	100

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में से 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा योजना से आर्थिक स्थिति में सुधार होने तथा 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आर्थिक स्थिति में सुधार नही होने की बात स्वीकार की है, जबकि 01 उत्तरदाता ने इस संबंध में अपना कोई अभिमत नही दिया।

1. 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कथन है कि मनरेगा योजना से उनकी रोजगार संबंधी आत्मनिर्भरता बढ़ी है, 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कथन है कि मनरेगा योजना से उनकी रोजगार संबंधी आत्मनिर्भरता नही बढ़ी है, जबकि 03 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संबंध में कोई अभिमत नही दिया है।
2. 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा योजना से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा योजना से उनके जीवन स्तर में सुधार नही हुआ है जबकि मात्र 1 उत्तरदाता ने इस संबंध में कोई अभिमत नही दिया है।
3. 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा से पलायन पर रोक लगने के पक्ष में और 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा से पलायन पर रोक लगने के विपक्ष में अपना अभिमत दिया है, जबकि 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई अभिमत नही दिया है।

निष्कर्ष

मनरेगा ग्रामीण गरीब जनता के लिए एक क्रान्तिकारी कदम है। मनरेगा कार्यक्रम जहाँ एक तरफ इच्छुक परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार सृजन कर मनरेगा ग्रामीण परिवारों की क्रयशक्ति में वृद्धि करने एवं जीवन निर्वाह स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक है। गाँवों में बुनियादी ढाँचे के निर्माण एवं विकास के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने में भी मनरेगा की प्रभावी भूमिका रही है।

संदर्भ सूची

1. मामोरिया, चर्तुभुज एवं जैन, एस. सी. (2012) *भारतीय अर्थव्यवस्था,* साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 478।
2. ताराचन्द (2015) *सामान्य अध्ययन, पेपर 1,* 2015, मैकग्रा हिल एजूकेशन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, पृ. 79।
3. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (2005) दिशा निर्देश 2006, दूसरा संस्करण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 3।
4. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश (2011) *रिसर्च मेथडॉलॉजी,* छठा संस्करण, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. 166।
5. http://5-https//nregastrep.nic.in/netnrega/citizen_html/demregister.aspx?lflag=eng&page=B&state_name=CHHATTISGARH&state_code=33&district_name=SURGUJA&district_code=3305&block_name=AMBIKAPUR&block_code=3305001&fin_year=2023-2024&source%20=&Digest=aXadLgkYUY68O7l0MS3Igw/, Accessed on 05/09/2025.

——==00==——